तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.3.21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। वकील वादी ने नक्शा ट्रेस की प्रमाणित नकल पेश नही की है। आदेशिका दिनांक 11.3.2020 मे सीधी बहस हेतु किये गए आदेश के क्रम मे सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि कस्बा नैनवां प्रथम पटवार मण्डल नैनवां प्रथम तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2068-71 के खाता सं. 837 की भूमि खसरा सं. 6329/4523 रकबा 08 बीघा भूमि वादीगण के गैरखातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की है जिसके पूर्व ख. नं. 4523/2 थे जो जमाबन्दियों के कम्प्यूटरीकरण के चलते ख. सं. 6329/4523 किये गए है। जिनको नक्शा ट्रेस मे तरमीमशुदा रूप से खसरा सं. 4523/2 के रूप में दिनांक 9.6.2011 तक दर्शाया गया था। यह कि अभी दिनांक 17/12/2014 को वादीगण ने नक्शा ट्रेस की नकल निकलवाई तो पता चला कि बिना किसी सूचना के तथा बिना वादीगण की सहमति के वादीगण की तरमीमशुदा वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के नक्शे मे तरमीम पर नई तरमीम कर दी गई जो गलत रूप से की गई है जिससे वादीगण को भारी क्षति हो रही है। यह गलत तरमीम दिनांक 9.6.2011 के बाद कब की गई एवं किसके आदेश से की गई यह भी नक्शे मे अंकित नही किया गया है। नई की गई तरमीम को देखने से साफ जाहिर है कि यह [illegible] लेर तथा वादीगण को अनुचित [illegible] के उद्देश्य से अवैध [illegible] जिससे वादीगण को क्षति हो रही है। वादी ने याचना मे निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित खसरा नम्बर की गलत रूप से की गई तरमीम को निरस्त किया	

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.24 10:35:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner